रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 1976/पौष 19, 1897

No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 1976/PAUSA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th January 1976

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts grey portland cement falling under Item No. 23 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty as is equivalent to the duty leviable with reference to that part of the value thereof which represents the cost of packing in which such cement is delivered at the time of removal from the factory.

[No. 8/76.]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 18 (**अ**).—केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पादन -शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23 के अन्तर्गत आने वाले ग्रे पोर्टलेण्ड सीमेण्ट को उतने शुल्क से छूट देती है, जितना उसके मूल्य के उस भाग के प्रति निर्देश से, जो भाग उस पैकिंग की लागत के बराबर है, जिसमें ऐसा सीमेण्ट कारखाने से हटाए जाने के समय परिदत्त किया गया है, उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर है।

[सं० 8/76]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976